भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
*****

"दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों का अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता" उप–योजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश

योजना की पृष्ठभूमिः

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 25 (2) (ए) और (बी) में प्रावधान है कि "उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और दिव्यांगता की घटना को रोकने के लिए उपाय करेंगे और योजनाएं या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त उद्देश्य के लिए निम्नलिखित करेंगे:

क) दिव्यांगता की घटना के कारण से संबंधित अध्ययन, जांच और अनुसंधान करना या कराना;

ख) दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 28 में प्रावधान है कि, "उपयुक्त सरकार व्यक्तियों और संस्थानों के माध्यम से उन मुद्दों पर अनुसंधान और विकास शुरू करेगी जो आवास एवं पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दों को बढ़ाएंगे जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप इस विभाग ने वर्ष 2015-16 में "दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान" की एक योजना शुरू की जिसमें निम्नलिखित दो घटक शामिल हैं :-

क) दिव्यांगजनों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए सहायक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास।

ख) दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन/सर्वेक्षण।

3. 2021–22 से इस योजना को जारी रखनाः

2015-16 से 8 वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, 2021-22 से अगले पांच वर्षों की अवधि में योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदन मांगते समय योजना के उद्देश्यों और रूपरेखा पर फिर से विचार किया गया है। इस योजना को सिपडा के तहत "दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान हेतु और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उत्पाद, सहायक उपकरण और उपकरण के अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता " के रूप में

जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए योजना के उद्देश्यों को भी निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया है:

क) दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और समर्थन करना

ख) दिव्यांगता की व्यापकता और उसकी रोकथाम के उपायों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना;

ग) पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दों को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना जो दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं;

घ) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी उत्पादों, सहायक उपकरणों और यंत्रों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

4. योजना को लागू करने के लिए परिचालन व्यवस्था:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस योजना का संचालन करेगा जिसके लिए निम्नलिखित समितियां होंगी:

क. **संवीक्षा–सह–तकनीकी समिति** प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की जांच, संवीक्षा और मूल्यांकन करेगा और उन्हें वित्तीय सहायता के लिए संचालन समिति के समक्ष रखने के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। संवीक्षा-सह-तकनीकी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

(i)	सीएमडी, एलिम्को	अध्यक्ष
(ii)	एनआई के सभी निदेशक	सदस्य
(iii)	सचिव, डीएसटी के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	सचिव और निदेशक, आईसीएमआर के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	निदेशक, आईआईटी, दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	प्रेम प्रभाग, एसजेएंडई के प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	निदेशक/उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	सदस्य सचिव

ख. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस योजना का संचालन करेगा। संवीक्षा-सह-तकनीकी समिति द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अनुमोदन के लिए स्टीयरिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव करेंगे, जिसमें डीएसटी, सीएसआईआर, आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उप योजना को जारी रखते समय एक ही अनुमोदन तंत्र अपनाया जाएगा। स्टीयरिंग समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(i)	सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	अध्यक्ष
(ii)	आईसीएमआर के महानिदेशक के प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	सचिव, डीएसटी के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	एसजे एंड ई मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	आईआईटी दिल्ली के निदेशक के प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	सीएसआईआर के महानिदेशक के प्रतिनिधि	सदस्य
(ix)	जेएस और एफए, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
(x)	संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
(xi)	सीएमडी, एलिम्को	सदस्य
(xii)	एनआई के दो निदेशक	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित)
(xiii)	संबंधित निदेशक/उप सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य सचिव

दिव्यांगता के संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अध्यक्ष द्वारा स्टीयरिंग समिति के सदस्य सहयोजित सदस्य के रूप में हो सकते हैं।

4.1 वित्त मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा बैठक की अवधि और गैर-आधिकारिक सदस्यों द्वारा शामिल होने के अवधि को ध्यान में रखते हुए, गैर-आधिकारिक सदस्यों को प्रति दिन 3000 रुपये की सीमा (रेंज) में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाएगा जो एक महीने में 10 दिनों से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक मामले में भुगतान की जाने वाली सटीक राशि डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव की मंजूरी से तय की जाएगी।

4.2 इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर सुचारू और शीघ्र विचार और निर्णय को सुकर बनाने के लिए प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा और उस पर विचार करने के लिए तिमाही/आवश्यकता के आधार पर संवीक्षा सह तकनीकी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसके बाद योजना के अंतर्गत संस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए स्टीयरिंग समिति की बैठक होगी। तथापि, स्टीयरिंग समिति अनुसंधान प्रस्तावों के विषय / फोकस क्षेत्रों के बारे में विचार करने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल में भी बैठक करेगी और प्रस्तावों की मात्रा और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वर्ष के बीच में भी बैठक करेगी।

4.3 **मध्य पाठ्यक्रम की समीक्षाः**

i. स्टीयरिंग समिति को विभाग के सीपीएमयू द्वारा आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जैसा कि स्टीयरिंग समिति द्वारा तय किया जा सकता है।

ii. <u>इस योजना के प्रभारी संयुक्त सचिव के स्तर पर प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम किस्तें की जाएंगी। स्टीयरिंग समिति की मंजूरी के बाद ही अंतिम किस्त जारी की जाएगी।</u>

iii. यदि अनुसंधान/अध्ययन की अवधि के दौरान संस्थान का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो करार को समाप्त किया जा सकता है तथा अव्ययित शेष राशि और उससे उत्पन्न ब्याज को भारत कोष पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त खाते में जमा किया जा सकता है। संस्थान को कम से कम 2 वर्षों के लिए या स्टीयरिंग समिति द्वारा तय किए गए अनुसार वित्त पोषण के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।

5. **योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र परियोजनाएं:**

क) दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर इस विभाग द्वारा शुरू किए गए अध्ययन/लैंडस्केप सर्वेक्षण/त्वरित मूल्यांकन अध्ययन और त्वरित समीक्षा; क्रॉस-सेक्टोरल और क्रॉस-डिसिप्लिनरी रिसर्च जैसे दिव्यांगता और पुनर्वास, तालमेल के लिए अनुसंधान में एक अंतर-विषयात्मक और बहु

विषयात्मक (ट्रांसलेशनल) दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और अनुसंधान गतिविधियों की अधिक व्यापकता तथा प्रासंगिकता। सर्वेक्षणों/अध्ययनों के स्वत: प्रस्तावों को स्वीकार/उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) दिव्यांगजनों के पुनर्वास और शिक्षा/कौशल के लिए सहायक प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास।

ग) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति।

घ) नैदानिकी (डियाग्नोस्टिक्स), सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियों में अभिनव परियोजनाओं को बढ़ावा देना

5.1 परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से परियोजना के परिणामों को इंगित करना चाहिए जैसे कि:-

क. नए नैदानिक और दिव्यांगता मूल्यांकन उपकरण,

ख. दिव्यांगता के आकलन के लिए उपकरणों/परीक्षणों का स्वदेशीकरण,

ग. भारत विशिष्ट के लिए और कई भारतीय भाषाओं में आवेदन के लिए भी नैदानिक और मूल्यांकन उपकरणों का विस्तार करना,

घ. मेक इन इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नई उपचार/चिकित्सीय सेवाएं/मानक संचालन प्रक्रियाएं, सहायक प्रौद्योगिकी (नया नवाचार, लागत में कमी/स्वदेशी उत्पादीकरण)

ङ. दिव्यांगजनों की चिंताओं को दूर करने के लिए नए डिजिटल समाधान।

च. अन्य मापनीय परिणाम और सामाजिक प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में प्रभावी जमीनी अंतर होता है।

छ. अनुसंधान से निकलने वाला कोई भी परिणाम जिसमें दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित नीति निर्धारण/नीति कार्यान्वयन में मूल्यवर्धन की क्षमता हो

6. वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन/संस्थान:

i. एक विशिष्ट अनुसंधान परियोजना को करने के लिए संस्था या संस्थानों का एक समूह जिसमें एक या अधिक विद्वान इसे निर्देशित करते हैं; इसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और स्वैच्छिक संगठन, व्यावसायिक संघ और इसी तरह के संगठन / एजेंसियां शामिल होंगी जिनके पास अनुसंधान करने की क्षमता है।

ii. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित संस्थाएं/स्वायत्त निकाय/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं।

iii. भारत में किसी भी क़ानून के तहत पंजीकृत संगठन जैसे सोसाइटी अधिनियम, न्यास अधिनियम, सहकारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम आदि, आमतौर पर पंजीकरण के बाद तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं। अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित कार्य करने वाले सभी यूजीसी अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तिगत अनुसंधान श्रेणी के तहत विद्वानों के साथ उक्त पंजीकृत संगठन सहायता के लिए पात्र होंगे।

iv. सहायक प्रौद्योगिकियों में स्टार्ट-अप / हैकाथॉन विजेता जो 3 वर्ष से भी कम अनुभव रखते हैं, इसके लिए पात्र होंगे।

v. प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए फिक्की, एसोचैम और सीआईआई आदि जैसे उद्योग संघ।

vi. स्वैच्छिक संगठनों को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।

7. अनुसंधान के सांकेतिक क्षेत्रः

प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में और आवश्यकता के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी स्टीयरिंग समिति इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/विषयों की पहचान करेगी जिन्हें व्यापक प्रचार के लिए विभाग/ और इसके संगठनों की वेबसाइट के माध्यम से विधिवत रूप से विज्ञापित किया जाएगा। प्रस्ताव सरकार के अनुसंधान संगठन से सीधे भी आमंत्रित किए जा सकते हैं या स्वयं रूप से मंत्रालय द्वारा सीधे प्रस्तावित/प्रायोजित किए जा सकते हैं। जीएफआर के संगत प्रावधानों का पालन करते हुए मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसियों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। तथापि, प्रस्तावों पर वर्ष भर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पद्धति से मांगे जाएंगे।

8. अनुसंधान निष्कर्षों का प्रसारः

अनुसंधान निष्कर्षों और नीति तथा योजना और व्यवहार के बीच मजबूत संबंध विकसित करने के लिए, विभाग /और इसके अधीनस्थ संगठनों की वेबसाइट के माध्यम से मंत्रालय के उचित अनुमोदन के बाद अनुसंधान निष्कर्षों का प्रसार किया जाएगा। उनकी प्रासंगिकता के अनुसार, अनुसंधान निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा। नैदानिक और मूल्यांकन उपकरणों या सहायक प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को सत्यापन और उत्पाद विकास / उत्पादन उद्देश्यों के लिए एलिम्को और संबंधित एनआई के साथ साझा किया जा सकता है।

9. **प्रस्ताव तथा अन्य सामान्य नियम और शर्तों की प्रस्तुतीः**

क) पात्र संगठन दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रारूप में चिन्हित क्षेत्रों/विषयों के संबंध में अपने प्रस्ताव केवल ऑनलाइन मोड में विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुसंधान दल द्वारा उपयोग के लिए मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास कुछ सर्वेक्षण उपकरण उपलब्ध हैं जो निःशुल्क हैं। इस प्रकार उपकरणों की लागत प्रस्ताव में शामिल नहीं की जाएगी।

ख) संगठनों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उसी / समान परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से अनुदान नहीं लिया है।

ग) प्रस्ताव के साथ वैश्विक/अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन/साहित्य समीक्षा का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा।

घ) यदि अनुसंधान परियोजना उत्पाद उन्मुख है, तो वाणिज्यिक संस्थाओं के विवरण के साथ उत्पाद के व्यावसायिक/वाणिज्यिक उत्पादन का एक अलग खंड परियोजना प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।

ङ) क़रार में निर्धारित समय के भीतर सौंपे गए कार्य को पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब होने पर दंड या अग्रसारित (फोरक्लोजर) / क़रार समाप्त करने (टर्मिनेशन) का प्रावधान किया जाएगा जैसा कि करार में प्रावधान किया गया है। सौंपे गए कार्य के संबंध में संस्थान के नियंत्रण से परे कारकों से विलंब होने पर, समय में उपयुक्त विस्तार देने का प्रावधान है, हालांकि, संस्थान के अनुरोध पर दिया जा सकता है।

च) सरकार करार में निर्धारित समय अवधि से परे सौंपे गए कार्य की लागत में किसी भी वृद्धि के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेगी। स्टीयरिंग समिति प्रगति और आवश्यकता के आधार पर राशि में वृद्धि/कमी कर सकती है। तथापि, यदि कोई वृद्धि होती है तो वह स्टीयरिंग समिति के अनुमोदन के बाद ही किसी अतिरिक्त मद के लिए होगी।

छ) विभाग के साथ सहमति के अनुसार परियोजना के लिए कुल शुल्क में सेवा कर और अन्य कर, यदि कोई हो, शामिल होगा और कर के भुगतान की देयता संस्था की होगी।

ज) सौंपे गए कार्य की अवधि के दौरान, स्टीयरिंग समिति अपने दायरे / कवरेज को मजबूत / गहन बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो सौंपे गए कार्य के विचारार्थ विषय तथा अन्य नियमों और शर्तों को संशोधित कर सकती है।

झ) भुगतान की अंतिम किस्त जारी करने के लिए अंतिम रिपोर्ट की 01 हार्ड कॉपी, अंतिम रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी के साथ कार्यकारी सारांश की 01 हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जाएगी। अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सुगम्य पीडीएफ फाइलों में विभाग की वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड की जाएगी ताकि दिव्यांग व्यक्ति भी उन्हें देख / पढ़ सकें।

ञ) यदि कोई प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक अनुसंधान/अध्ययन की चालू अवधि के दौरान उसे छोड़ देता है, तो इस तथ्य को मंत्रालय को समय पर सूचित किया जाए ताकि समय की हानि न्यूनतम हो और प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक में परिवर्तन होने से अनुसंधान में विलंब न हो और इस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नए प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक की नियुक्ति संस्थान द्वारा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही की जा सकती है।

ट) स्टीयरिंग समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमत को छोड़कर, एक समय में एक से अधिक परियोजनाओं के लिए कोई प्रधान अन्वेषक/सह अन्वेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा और पिछली परियोजना के पूरा होने के बाद ही, उसी प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक के साथ अगली परियोजना अनुमोदित की जाएगी।

10. भुगतान की शर्तें:

अनुसंधान और विकास तथा अध्ययन / सर्वेक्षण के लिए भुगतान की शर्तें निम्नानुसार हैं:

क) पहली किस्त: समझौते की मंजूरी और हस्ताक्षर करने पर 40%;

ख) दूसरी किस्त: मसौदा रिपोर्ट जमा करने पर 40% जिसे इच्छित अनुसंधान और विकास या अध्ययन की दिशा में कम से कम 75% काम पूरा करने और आवश्यक डेटा या साक्ष्य के सर्वेक्षण, संग्रह, मिलान और विश्लेषण के काम को पूरा करने के बारे में साक्ष्य के साथ जमा किया जाएगा।

ग) अंतिम किस्त: अनुमोदित अनुसंधान या अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति पर 20%।

11. प्रशासनिक व्यय:

योजना के तहत वार्षिक बजट प्रावधान का 5% योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग किया जाएगा जिसमें बैठकों (गैर-आधिकारिक डोमेन विशेषज्ञों) के लिए बैठक शुल्क भी शामिल होगा।

12. वित्तीय सहायता की निम्नलिखित मदों के लिए होगी और व्यय शीर्षवार निधि आवंटन/उपयोग निम्नानुसार होगा:

i. **मानव संसाधन**

ii. **नेटवर्किंग, सर्वेक्षण, स्टेकहोल्डरों की बैठकों, विशेषज्ञों, संसाधन व्यक्तियों आदि के लिए यात्रा; (एक परियोजना के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है)**

iii. **विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के लिए परामर्श शुल्क**

iv. आकस्मिकताओं और उपभोग्य सामग्रियां (उपभोग्य सामग्रियों में अध्ययन के लिए आवश्यक अनुसंधान उपकरण शामिल हो सकते हैं और स्टीयरिंग समिति द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं)

v. प्रशासन व्यय 5% पर निर्धारित हैं

vi. स्टीयरिंग समिति की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर कोई अन्य मद।

13. एलओआई, टीओआर और करार के प्रपत्रः

अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के मानक प्रपत्रों, आशय पत्र, विचारार्थ शर्तों और करारों आदि की प्रतियां अनुबंध I, II, III, IV, V और VI में संलग्न हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें **Rahul.kumar0397@gov.in** को ईमेल के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत करने से पहले डाउनलोड, भरा जा सकता है और मुहर लगाया जा सकता है।

<u>प्रपत्र</u> : अनुसंधान प्रस्तावों की प्रस्तुति

संगठन का नाम: _____ मोबाइल:

_____कार्यालय: _____

ईमेल: (प्राथमिक)_____ अतिरिक्त ईमेल:_____

पता (कार्यालय): _____

_____

ग. परियोजना का शीर्षक जिसके लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है:

_____ _____

घ. अन्य योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में प्राप्त पिछले सहायता अनुदान का विवरण– (हाँ / नहीं), यदि हां, तो अनुबंध II के अनुसार विवरण प्रदान किया जाना है।

ड. <u>वित्तीय प्रस्ताव (राशि):</u>

च. अवधि: (वर्ष/माह)

<u>छ. टीम का विवरण</u> (टीम लीडर और स्टाफ का सीवी जिसे अनुबंध III के अनुसार टीम लीडर के हस्ताक्षर के साथ जमा किया जाना।)

नाम	पद	इन्पुट (स्टाफ/माह)

ज. व्यावसायिक कंपनी/उद्योग भागीदार का विवरण (उत्पादन उन्मुख अनुसंधान हेतु)

झ. अनुरोध की गई/अपेक्षित डाटा और सुविधाएं, यदि हो तो विभाग द्वारा प्रदान किया जाना है:

नोट: डीईपीडब्ल्यूडी का JS. Jot प्रपत्र सर्वेक्षण आदि है और यह निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

अपेक्षित	**न्यायोजित**

ञ. क्या किसी विनियामक अनुपालन का पालन किया जा रहा है: (हां/नहीं)
(यदि हां, तो पृथक रूप से एक प्रति प्रस्तुत करें)

विनियामक	अनुपालन प्रमाण पत्र

नोट: विस्तृत प्रस्ताव के साथ पिछले 3 वर्षों की लेखा परीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट और आयकर विवरण जमा करें।

संगठनों को इस प्रस्ताव को जमा करते समय अनुबंध IV और V के अनुसार यह वचन पत्र जमा करना है।

अनुबंध-I

विचारार्थ विषय

1. परियोजना का शीर्षक

2. अनुसंधान योजना के तहत इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मूल कारण:

3. परियोजना के उद्देश्य:

4. परियोजना का कार्यक्षेत्र:

5. इस क्षेत्र में समकालीन साहित्य/पहल

6. आज की स्थिति के अनुसार इसी प्रकार अनुसंधान क्षेत्रों और उनकी स्थिति में राष्ट्रीय / वैश्विक पहल

7. गत समय में संस्थान द्वारा किए गए इसी तरह के अनुसंधान का विवरण

8. कार्य प्रणाली

9. व्यवसायीकरण हेतु विस्तृत योजना (उत्पाद उन्मुख अनुसंधान हेतु)

10. समय सारणी (गतिविधिवार विवरण):

नमूना:

गतिविधि	समय, महीनों में

11. प्रदेय वस्तु या उत्पाद (अनुप्रयोज्यता/सामाजिक प्रभाव/परिणामों के संदर्भ में)

12. अनुसंधान संपन्न होने के बाद आगे की कार्रवाई हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/कॉर्पोरेट के साथ प्रस्तावित सहयोग

अनुबंध: II

संगठन / प्रधान अन्वेषक का अनुभव

क – प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे संगठन/प्रधान अन्वेषक का विवरण

[पृष्ठभूमि और हमारी संख्या के संगठन तथा इस कार्य के प्रत्येक सहभागी, यदि कोई हो तो, उनका संक्षिप्त विवरण दें (दो पृष्ठों से अधिक न हो)]

ख – गत समय में किए गए कार्यों का विवरण

नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करते हुए प्रत्येक कार्य पर सूचना प्रदान करें, जिसके लिए आपके संस्था और इस कार्य के प्रत्येक सहयोगी, जिन्हें इस कार्य में अनुरोध किए गए इसी तरह की परामर्श सेवाओं के लिए संविदा पर लिया गया था

कार्य का नाम	**संविदा हेतु अनुमानित मूल्य (रुपये में)**
देश: देश में स्थान:	कार्य की अवधि (माह)
क्लाइंट का नाम:	
निधियन का उद्देश्य	
पता:	
प्रारंभ होने की तिथि (माह / वर्ष)	
समाप्त होने की तिथि (माह / वर्ष) (यदि चालू है तो उल्लेख करें)	

सहयोगी प्रधान अन्वेषक का नाम, यदि कोई हो तो:	इसमें शामिल आपके संगठन के वरिष्ठ पेशेवर स्टॉफ का नाम और उनके द्वारा निष्पादित कार्य (अति महत्वपूर्ण प्रोफाइल दर्शाएं जैसे परियोजना निदेशक / संयोजक, टीम लीडर)
परियोजना का वर्णन विवरण:	
कार्य के भीतर आपके स्टॉफ द्वारा प्रदत्त वास्तविक सेवाओं का विवरण	
कार्य के भीतर आपके स्टॉफ द्वारा प्रदत्त वास्तविक सेवाओं का विवरण:	
अंतिम परिणाम (सामाजिक प्रभाव / पायलट रोलआउट के बाद कोई उपयोग):	

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पता .....

दिनांक.....

(मुहर).....

अनुबंध: III

करार (असाइनमेंट) हेतु प्रस्तावित
पेशेवर स्टॉफ की शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव

ड. प्रस्तावित पद [एक पद के लिए मात्र एक उम्मीदवार नामित किया जाएगा]:

_____

2. [स्टाफ का प्रस्ताव कर रही कम्पनी का नाम लिखें]:_____

_____

3. स्टाफ का नाम [पूरा नाम लिखें]:_____

4. जन्म तिथि: _____ राष्ट्रीयता_____

5. शिक्षा: [संस्थान के नाम, प्राप्त डिग्री और डिग्री प्राप्त करने की तिथि का विवरण देते हुए कॉलेज/विश्वविद्यालय स्टॉफ सदस्य द्वारा प्राप्त अन्य विशेष शिक्षा को दर्शाएं]:

_____

6. पेशेवर संघ की सदस्यता:_____

_____

7. प्रकाशन (प्रख्यात पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तकें, शोध पत्र और अन्य लेखों को दर्शाएं)

_____

8. अन्य प्रशिक्षण :[उपरोक्त 5 – में प्राप्त शिक्षा के तहत डिग्री से लेकर महत्वपूर्ण प्रशिक्षण को दर्शाएं।]

_____

9. देशों में कार्य का अनुभव: [पिछले 10 वर्षों में स्टॉफ ने जहां काम किया है उन देशों की सूची]:

_____

10. रोजगार का रिकॉर्ड: [वर्तमान स्थिति से शुरू करते हुए, स्नातक से स्टॉफ सदस्य द्वारा किए गए प्रत्येक रोजगार की सूची विपरीत क्रम में दें, जिसमें प्रत्येक रोजगार (नीचे दिए गए प्रपत्र को देखें), रोजगार की तिथि, नियोक्ता संगठन का नाम, धारित पद आदि सहित विवरण दें)

वर्ष से:_____वर्ष तक:_____

नियोक्ता_____

धारित पद_____

11. सौंपे गए विस्तृत कार्य

[इस कार्य के तहत निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची]

12. किए गए कार्य जो सौंपे गए कार्य को करने की क्षमता को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है : [कार्यों में से वे कार्य जिसमें यह स्टॉफ शामिल थे, उन कार्यों के लिए निम्नलिखित सूचना दें जो उपरोक्त बिंदु 10 में दिए गए अनुसार स्टॉफ कार्य करने की क्षमता को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है।]

    क़रार या परियोजना का नाम: _____

    वर्ष_____

    स्थान_____

    क्लाइंट: _____

    परियोजना की मुख्य विशेषताएं: _____

    धारित पद: _____

    निष्पादित गतिविधियाँ: _____

13. प्रमाणीकरण:

    मैं यह समझता/समझती हूं और यह प्रमाणित करता/करती हूं कि इस सीवी में मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास में मेरे स्वयं का विवरण, मेरी अर्हताएं और मेरे अनुभव सही से दिए गए हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूं कि इसमें दिए गए किसी भी विवरण में जानबूझकर गलत सूचना देने पर, यदि मेरी नियुक्ति की जाती है, तो मुझे अयोग्य या बर्खास्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर (टीम लीडर).....

नाम .....

पता .....

दिनांक.....

(मुहर).....

अनुबंध -IV

वचन पत्र

ड. मैं / हमने इस योजना को पढ़ लिया है और इस योजना की आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करती/करता हूं/करते हैं। मैं/हम इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूं/देते हैं। मैं/हम यह भी वचन देता/देती हूं/देते हैं किः

i. इस निधि का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
ii. मैं/हम यह घोषित करता/करती हूं/करते हैं कि मैंने/हमने इस परियोजना के लिए किसी अन्य स्रोत से निधि प्राप्त नहीं की है।
iii. इस योजना के तहत मंत्रालय से निधि प्राप्त करने के लिए एक अलग खाते को रखा जाएगा।

उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो इस विभाग द्वारा किसी भी कार्यवाही के लिए मैं बाध्य हूं और मैं पूर्ण रूप से अनुदान राशि को वापिस करने का वचन देता / देती हूं।

हस्ताक्षर (संगठन का प्रमुख).....

नाम .....

पता .....

दिनांक.....

(मुहर).....

नोट: जहां भी लागू नहीं है, कृपया वहां 'लागू नहीं' लिखें।

अनुबंध–V

सिपडा के तहत 'दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान हेतु और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता' के घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन।

प्रेषक:

दिनांक :

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

विषयः सिपडा के तहत 'दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान हेतु और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उत्पादों, सहायक उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता' के घटक के तहत सहायता

मैं/हम _____वित्त वर्ष_____हेतु_____के लिए उपरोक्त योजना के तहत _____ रुपये के अनुदान के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में एतदद्वारा आवेदन जमा करता हूं / करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने योजना के नियमों और विनियमों को पढ़ लिया है और मैं/हम प्रबंधन की ओर से उनका पालन करने का वचन देता हूं / देते हैं।

2. मैं/हम निम्नलिखित शर्तों पर भी सहमत हुए हैं:

i. इस प्रकार दिए गए अनुदान का खाता ठीक से और पृथक रूप से रखा जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के लिए खाते हमेशा खुले रहेंगे।

ii. यदि केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो भारत सरकार आगे की किश्तों का भुगतान रोक सकती है और पहले के अनुदान की वसूली उस तरीके से कर सकती है जैसा वे निर्णय लेते हैं|

iii. संस्था इस योजना के कार्यान्वयन में उचित मितव्ययता बरतेगी।

iv. जीआईए और बजट अनुमान के बीच का अंतर संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। हालाँकि, यदि संगठन इस परियोजना के लिए बजट अनुमान और विभाग की जीआईए समिति द्वारा अनुशंसित जीआईए के बीच के अंतर को वहन करने में असमर्थ है, तो जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव संगठन द्वारा भेजा जाएगा।

v. संगठन मद-वार व्यय के साथ खाते का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

vi. पिछले तीन वित्त वर्षों के लेखा परीक्षित खाते, वार्षिक रिपोर्ट और आयकर रिटर्न प्रस्ताव के साथ पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किए गए हैं।

vii. **संगठन को समान घटक के लिए अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी; इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न है।**

viii. यदि किसी आयोजन से कोई आय हो, तो वह लेखापरीक्षित खातों में दिखाई जाएगी।

ix. इस विभाग से प्राप्त जीआईए के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा।

x. 20,000/- रुपये की सीमा से ऊपर के सभी लेनदेन का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

दिनांक.....

(मुहर).....

अनुबंध -VI

सिपडा के तहत 'दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान हेतु और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता' के लिए क़रार ।

<u>क़रार</u>

यह क़रार (कार्य शुरू करने की तारीख) से भारत के राष्ट्रपति के बीच जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग [भारत सरकार] के सचिव के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान [क्लाइंट का पता डालें] और [संगठन/प्रधान अन्वेषक का नाम डालें] (संगठन / प्रधान अन्वेषक) के बीच है जिसका प्रधान कार्यालय [संगठन/प्रधान अन्वेषक का पता डालें) पर स्थित है।

जबकि, सरकार चाहती है कि संगठन/प्रधान अन्वेषक इसमें इसके बाद उल्लिखित कार्य निष्पादित करे, और

और जबकि, प्रधान अन्वेषक इस कार्य को करने के लिए तैयार है, अब, इसलिए, पक्ष इस प्रकार निम्नानुसार सहमत हैं: -

1. सेवाएँ	I संगठन/प्रधान अन्वेषक अनुबंध- I, "विचारार्थ विषय और कार्य का दायरा" में निर्दिष्ट कार्य को निष्पादित करेगा, जो इस क़रार (कार्य) का एक अभिन्न अंग है।
	ii. संगठन/प्रधान अन्वेषक कार्य को निष्पादित करने के लिए अनुबंध-III "प्रधान अन्वेषक के कार्मिक" में सूचीबद्ध कर्मियों को उपलब्ध करवायेगा।
	iii. संगठन/प्रधान अन्वेषक सरकार को दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रपत्र और आंकड़ों के साथ और समय अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
2. अवधि	संगठन/प्रधान अन्वेषक को यह कार्य [इस क़रार की तारीख से कुछ महीनों के भीतर] या किसी अन्य अवधि में पूरा करना होगा, जिस पर पार्टियों द्वारा बाद में लिखित रूप में सहमति व्यक्त की जा सकती है, जो संगठन/प्रधान अन्वेषक के कारण होने वाली देरी के लिए निर्धारित नुकसान के अधीन होगी।

3. भुगतान क.सीमा	इस कार्य के लिए सरकार संगठन/प्रधान अन्वेषक को [राशि डालें] का भुगतान करेगी। इस राशि में संगठन/प्रधान अन्वेषक की सभी लागतें और प्रदेय वस्तु या उत्पाद के साथ-साथ कोई भी कर दायित्व शामिल है जो संगठन/प्रधान अन्वेषक पर लगाया जा सकता है।
ख. भुगतान की समय-सारणी :	भुगतान की समय सारणी नीचे निर्दिष्ट है: 1. [मुद्रा और राशि डालें] प्रधान अन्वेषक द्वारा हस्ताक्षरित इस क़रार की एक प्रति सरकार को प्राप्त होने पर; 2. [मुद्रा और राशि डालें] सरकार को प्रधान अन्वेषक से मसौदा रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो सरकार को स्वीकार्य हो' और 3. [मुद्रा और राशि डालें] सरकार को प्रधान अन्वेषक से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सरकार को स्वीकार्य होने पर: **कुल**
ग. भुगतान की शर्तें:	अंतिम भुगतान संगठन/प्रधान अन्वेषक द्वारा पैराग्राफ 4 में नामित समन्वयक को दो प्रतियों में पूर्ण इन्वॉइस प्रस्तुत करने या सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार्य होने पर जो भी बाद में हो, 6 सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
4. परियोजना प्रशासन क. समन्वयक	सरकार इस कार्य के लिए _____ को सरकार के समन्वयक के रूप में नामित करती है। समन्वयक इस क़रार के तहत गतिविधियों के समन्वय, सरकार द्वारा रिपोर्ट और अन्य प्रदेय वस्तुओं की स्वीकृति और अनुमोदन तथा भुगतान के लिए इन्वॉइस प्राप्त करने और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगा।
ख. रिपोर्ट	कार्य की प्रगति पर रिपोर्ट इस कार्य के दौरान प्रस्तुत की जाएगी और पैरा 10 के तहत किए जाने वाले भुगतान का आधार होगी।

5. कार्य निष्पादन हेतु मानक	संगठन/प्रधान अन्वेषक पेशेवर तथा नैतिक क्षमता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के साथ कार्य को निष्पादित करने का दायित्व लेता है। संगठन/प्रधान अन्वेषक इस संविदा के तहत नियुक्त किसी भी कर्मचारी को तत्काल बदल देगा, जिसके कार्य को सरकार असंतोषजनक मानती है।
6. गोपनीयता	संगठन/प्रधान अन्वेषक सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सेवाओं, इस क़रार या सरकार के कार्य या संचालन से संबंधित किसी भी मालिकाना या गोपनीय जानकारी को प्रकट नहीं करेगा।
7. सामग्री का स्वामित्व	क़रार के तहत सरकार के लिए संगठन/प्रधान अन्वेषक द्वारा तैयार किया गया कोई भी अध्ययन, रिपोर्ट या अन्य सामग्री, ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर या अन्यथा भारत सरकार की होगी और सरकार की संपत्ति रहेगी। प्रधान अन्वेषक इस क़रार के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज़ों और सॉफ़्टवेयर की एक प्रति अपने पास रख सकता है
8. बीमा	संगठन/प्रधान अन्वेषक अपनी लागत पर कोई भी उपयुक्त बीमा कवरेज लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. कार्य को पुन: सौंपना	संगठन/प्रधान अन्वेषक सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते को दोबारा नहीं सौंपेगा या इसके किसी भी हिस्से को उप-संविदा पर नहीं देगा।
10. विवाद का समाधान	इस क़रार से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता है, उसे मध्यस्थता के लिए [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान के अनुसार] सचिव, विधायी कार्य विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। । समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे। इस मामले में क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालतें होगी ।

11. मध्य पाठ्यक्रम समीक्षा एवं परिणाम/निष्कर्ष	i. आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं की निगरानी के लिए स्टीयरिंग समिति को विभाग के सीपीएमयू द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा तथा इस विषय में स्टीयरिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ii. <u>प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर अंतरिम किस्तें इस योजना के प्रभारी संयुक्त सचिव के स्तर पर की जाएंगी। स्टीयरिंग समिति की मंजूरी के बाद ही अंतिम किस्त जारी की जाएगी।</u> iii. यदि अनुसंधान/अध्ययन के दौरान संस्थान का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो क़रार को समाप्त किया जा सकता है **तथा अव्ययित/ शेष राशि और उससे उत्पन्न ब्याज को भारत कोष पोर्टल के माध्यम से उचित खाते में जमा किया जाएगा।** संस्थान को कम से कम 2 वर्षों के लिए या स्टीयरिंग समिति द्वारा तय किए गए अनुसार निधियन के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।
12. अप्रत्याशित घटना	पार्टियाँ अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उस सीमा तक छूट पाने की हकदार होंगी, जब तक कि अप्रत्याशित घटना की स्थिति में वे संविदा का पालन करने में असमर्थ हों। इस संबंध में राहत का दावा करने वाली पार्टी को अप्रत्याशित घटना के बारे में पता चलने पर तुरंत दूसरे पक्ष को उस घटना और अवधि का खुलासा करते हुए नोटिस देना होगा जिसके दौरान उसके निष्पादन संबंधी दायित्वों के प्रभावित होने की संभावना है। **क़रार के प्रयोजन के लिए अप्रत्याशित घटना का अर्थ है दैवीय कृत्य, युद्ध या इसी तरह की कार्रवाई जो भारत में नागरिक विद्रोह या सामान्य हड़ताल (अपने स्वयं के कर्मचारियों को छोड़कर) को प्रभावित करती है जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है।**
13. सूचना (नोटिस)	सभी संचार के लिए पार्टियों का पता सरकार है: संगठन: डीईपीडब्ल्यूडी प्रधान अन्वेषक: आवेदक का विवरण डाला जाए उक्त पते पर पूर्व भुगतान पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या पहुंचने की पुष्टि के साथ भेजे गए या ई-मेल भेजा गया जिससे यह माना जाएगा कि सूचना पहुंच गई थीं और प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। पते में कोई भी परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि दूसरे पक्ष द्वारा इसकी पुष्टि न की जाए।

इसके साक्ष्य में, इस क़रार के पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विधिवत रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है और इसका निष्पादन दिन को उपस्थित लोगों के समक्ष किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति (सरकार) के लिए और उनकी ओर से
द्वारा हस्ताक्षर किये गए
पदनाम
की उपस्थिति में

संगठन/प्रधान अन्वेषक के लिए
द्वारा हस्ताक्षर किये गए
पदनाम
की उपस्थिति में

अनुबंध-VII

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दूसरी/तीसरी किस्त के लिए आवेदन पत्र

1. योजना का नाम:
2. संगठन
3. नाम:
4. पता (कार्यालय)
5. फोन और ईमेल (कार्यालय) :
6. सहायता अनुदान (रुपये में) कुल:
    - क. वर्तमान वर्ष में लागू :
    - ख. पहली किस्त के रूप में प्राप्त :
    - ग. दूसरी किस्त या तीसरी किस्त के लिए आवेदन किया गया :
    - घ. आवेदक संगठन को पहली/दूसरी किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।
    - ड़. मदवार व्यय के साथ लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण; किसी अन्य आयोजन से आय, यदि कोई हो, लेखा परीक्षित खातों में परिलक्षित की जानी चाहिए।
    - च. संगठन द्वारा आवश्यक मानी जाने वाली या मांगी गई कोई अन्य जानकारी।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....दिनांक.....(मुहर).....